न्यायालय आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 3091/विधि सहरसा, दिनांक 19-10-2023

प्रतिलिपि :- समाहर्त्ता, मधेपुरा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आपूर्ति पुन0वाद सं0-86/2023 में दिनांक-17.10.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहरसा को पारित आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनके पत्रांक 691/आ0 दिनांक 09.09.2023 से प्राप्त मूल आवेदन एवं अन्य काग़जात प्रमाण-पत्र कुल-261 पन्ना मूल में संलग्न कर वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को पारित आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- रीना देवी, पति-पंकज कुमार राम, सा0-अमौजा, पंचायत-पीरनगर, थाना+अंचल-ग्वालपाड़ा, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

19.10.23

प्रभारी पदाधिकारी, विधि

for कोशी प्रमंडल, सहरसा।

19/10/2023

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

....से..तक

.............................., सं0..., सन् १९..............................

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

२

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित

३

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आपूर्ति पुनरीक्षण वाद संख्याः-86/2023

रीना देवी.........................पुनरीक्षणकर्त्ता

-बनाम-

राज्य.....................रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद श्रीमती रीना देवी, पति-पंकज कुमार राम, सा0-अमौजा, पंचायत-पीरनगर, थाना+अंचल-ग्वालपाड़ा, जिला-मधेपुरा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में उनके द्वारा दायर C.W.J.C No.-6549/2023 में दिनांक 15.05.2023 को पारित आदेश के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति, मधेपुरा के द्वारा मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत-पीरनगर के वार्ड नं0-01 अनुसूचित जाति (महिला) हेतु आरक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति हेतु चयन नहीं किये जाने के विरूद्ध दायर किया गया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता की ओर से दाखिल वाद-पत्र में उनके विज्ञ अधिवक्ता का मूल रूप से कहना है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत उदाकिशुनगंज अनुमंडल के प्रखंड-ग्वालपाड़ा पंचायत-पीरनगर, वार्ड नं0-01 में जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति हेतु अनुसूचित जाति (महिला) हेतु आरक्षित रिक्ति के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा दिनांक 24.08.2017 को अनुमंडल कार्यालय, उदाकिशुनगंज में आवेदन समर्पित किया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा के जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किये जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के द्वारा मेधा सूची तैयार कर जिला चयन समिति को भेजा गया, इसी बीच रघु वासके के द्वारा आपत्ति दिया गया कि वे वार्ड नं0-01 पीरनगर में पूर्व से डीलर है तथा उनकी अनुज्ञप्ति सं0-04/1996 है तथा उनके विरूद्ध कोई आरोप नहीं है, वे वर्ष 2006 से पी0डी0एस0 दुकान नहीं चला रहे है। अतः वार्ड नं0-01 को रिक्त नहीं माना

जाय। उक्त के आधार पर जिला चयन समिति के द्वारा वार्ड नं0-01, पीरनगर को डीलर चयन हेतु रिक्त नहीं माना गया तथा पुनरीक्षणकर्त्ता का चयन नहीं किया गया। पुनः उपरोक्त आपत्तिकर्त्ता के द्वारा दिनांक 13.09.2019 को अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के समक्ष शपथ-पत्र के साथ आवेदन समर्पित किया गया कि वे उक्त वार्ड में पी0डी0एस0 दुकान चला रहे थे किन्तु पिछले 13 वर्षो से वे दुकान नहीं चला रहे हैं तथा अब दुकान नहीं चलाना चाहते हैं। इस कारण वे उक्त आपत्ति वापस ले रहे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के द्वारा उक्त आवेदन के आलोक में उनके अनुज्ञप्ति सं0-04/1996 को रद्द किये जाने के संबंध में पत्रांक-3199 दिनांक 09.10.2019 के संबंध में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचित करते हुए वार्ड नं0-01 के रिक्त स्थान पर अनुसूचित जाति (महिला) कोटि की एक मात्र आवेदिका रीना देवी के चयन हेतु उनके आवेदन को जिला चयन समिति के समक्ष रखने की अनुशंसा की गई। तदोपरान्त जिला पदाधिकारी, मधेपुरा-सह-अध्यक्ष चयन समिति के द्वारा दिनांक 04.11.2019 को जिला चयन समिति की बैठक में वादी के चयन के संबंध में निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड में पूर्व से जन वितरण प्रणाली विक्रेता कार्यरत थे तथा उनकी अनुज्ञप्ति को विज्ञापन प्रकाशन के बाद दिनांक 13.09.2019 को रद्द किया गया है, इस कारण सर्वसम्मति से रीना देवी का चयन नहीं करने का निर्णय लिया गया। जिला चयन समिति के उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी के द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष वाद दायर किया गया, जिसमें आदेश पारित करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार, लोक शिकायत निवारण, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को रिक्ति के विरूद्ध विज्ञापन प्रकाशित किये जाने के कारण अगली चयन समिति की बैठक में वादी के आवेदन पर विचार करने का निदेश दिया गया। किन्तु जिला पदाधिकारी, मधेपुरा-सह-अध्यक्ष, चयन समिति के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में यह वाद लाया गया है। वादी के द्वारा पीरनगर पंचायत के अनूसूचित जाति (महिला) के लिए आरक्षित रिक्त स्थान पर एक मात्र आवेदक होने के कारण चयन करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोंपरान्त यह परिलक्षित होता है कि प्रश्नगत पंचायत/वार्ड में पूर्व से अनुज्ञप्तिधारी डीलर कार्यरत थे। पूर्व कार्यरत डीलर के आवेदन/दावा के आधार पर

	पुनरीक्षणकर्त्ता को निरहरित किया गया। अतः उक्त स्थिति में विज्ञापित रिक्ति को वैध रिक्ति नहीं माना जा सकता है। आपत्तिकर्त्ता डीलर की अनुज्ञप्ति को कार्यरत नहीं रहने के आधार पर अनुज्ञप्ति प्राधिकार के द्वारा विज्ञापन प्रकाशन के बाद रद्द किया गया। वैध रिक्ति की अनुपलब्धता की स्थिति में पुनरीक्षणकर्त्ता दावा विचारणीय नहीं होता है। उक्त के आलोक में जिला चयन समिति का निर्णय सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्क्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः इस पुनरीक्षणवाद को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें। लेखापित एवं संशोधित। प्रमंडलीय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा। प्रमंडलीय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा।		